सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-498/2023/775/22-2-2023-17(550)/2020
लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र प्रताप सिंह (बन्दी संख्या-97/2013) पुत्र श्री मंगला सिंह, निवासी ग्राम-हिरामनपुर, थाना-फूलपुर, जनपद-वाराणसी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1039/1998 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-09, वाराणसी के आदेश दिनांक 25.03.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-11-09-2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, की 61 वर्ष से अधिक आयु होने, दिनांक 10.10.2022 तक 12 वर्ष 05 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 07 माह 11 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-498/2023/775(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in